राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या–98 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री रवि शंकर सिंह जाहन्वी, बी॰–2/डी॰ अलखराज अपार्टमेंट पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, (पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास), पटना–800001

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
24.02.2023	श्री रवि शंकर सिंह जाहन्वी, बी॰–2/डी॰ अलखराज अपार्टमेंट पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, (पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास), पटना–800001 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक– 21.02.2023 इस कार्यालय में दिनांक–23. 02.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 830552 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री रवि शंकर सिंह जाहन्वी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–14.02.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कुल सचिव, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कुल सचिव, पाटलिपुरत्र विश्वविद्यालय, पटना द्वारा उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक– 14.02. 2023 की प्रति भी संलग्न है। विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। साथ ही इस मामले में प्रपत्र 'क' दिनांक–14.02.2023 के निष्पादन की अवधि भी समाप्त नहीं हुई है, चूकि प्रपत्र 'क' समर्पित करने के सात दिनों के बाद ही प्रथम अपील आवेदन समर्पित कर दिया गया है। अपीलकर्त्ता श्री रवि शंकर सिंह जाहन्वी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	